

05. जो भी अधिवक्तागण/प्लकारगण/पुलिसकर्मी अपना आवेदन/घालान पेश करना चाहते है व चाईल्ड फंडली कोर्ट की छिडकी के माध्यम से दे सकेंगे व अपनी उपस्थिति दर्ज करावेने।


06. अत्यावश्यक मामलो की सुनवाई हेतु सत्र न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश की ड्यूटी कोर्ट गणवत पूर्व नियत स्थान पर ही संचालित की जावेगी।

07. सभी अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि वे न्यायालय परिसर में अनावश्यक मोड एकत्रित न करे जितना संभव हो घर से ही वीडियो मोबाईल एप/वॉट्सअप कॉलिंग के माध्यम से ही अपनी उपस्थिति दर्ज करावें।

08. न्यायालय परिसर में अनावश्यक किसी भी अधिवक्तागण/पुलिसकर्मी/प्लकारगण या किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

09. यह भी सूचित किया जाता है कि जो भी अधिवक्तागण/न्यायिक कर्मचारी श्री जमील कुरैशी, अधिवक्ता के संपर्क में रहे है वे अपने आप को सुरक्षा की दृष्टि से होम क्वारंटाईन कर लेंवे व ऐसे अधिवक्ता/न्यायिक कर्मचारी न्यायालय परिसर में उपस्थित न होवे अन्यथा उनके विरुद्ध शासन को उचित कार्यवाही किए जाने हेतु लिखा जावेगा।


उक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते है।


28/4/2020
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

पृष्ठा. क्रमांक 89/2020

प्रतिलिपि -

01. समस्त न्यायाधीशगण, उज्जैन।
02. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उज्जैन।
03. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, उज्जैन।
04. जिला दण्डाधिकारी, जिला उज्जैन।
05. पुलिस अधीक्षक, जिला उज्जैन।
06. प्रशासनिक अधिकारी, को सभी कर्मचारियों को सूचित किए जाने बाबत।


28/4/2020
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.)

:: आदेश ::

क्रमांक ४५/२०२०

उज्जैन, दिनांकअप्रैल २०२०

कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय से निर्देशानुसार इस कार्यालय के आदेश क्रमांक ४५ दिनांक २३.०३.२०२० एवं आदेश क्रमांक ४५ दिनांक १४.०४.२०२० द्वारा इस न्यायिक जिला स्थापना उज्जैन में दिनांक ०३.०५.२०२० तक अकार्य दिवस के समान घोषित किया गया है। जिसके अंतर्गत अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई सत्र न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा की जा रही है एवं रिमाण्ड कोर्ट ड्यूटी भी लगाई जा रही है।

वर्तमान में जानकारी प्राप्त हुई है कि एक अधिवक्ता श्री जमील कुरैशी विगत कई दिनों से न्यायालय परिसर में उपस्थित हो रहे थे जिनकी कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनके संपर्क में कई अधिवक्तागण/न्यायिक कर्मचारीगण/पक्षकारगण रहे हैं। उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए निम्न निर्देश जारी किए जा रहे हैं -

01. आज दिनांक २७.०४.२०२० से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के एडीआर भवन में फंट ऑफिस से की जावेगी।
02. अधिवक्तागण स्वयं अपने कार्यालय से या अपने निवास स्थान से वीडियो मोबाईल एप के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। अति आवश्यक स्थिति में जैसे कि जिन अधिवक्तागण को वीडियो मोबाईल एप यूज करने में कठिनाई आ रही है केवल वही न्यायालय परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी उपस्थिति देंगे।
03. जो भी अधिवक्तागण न्यायालय परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए उपस्थित हो रहे हैं वे एक निश्चित दूरी के अंतराल में एक-एक कर एडीआर भवन के फंट ऑफिस जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध हो वहां पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें साथ ही इस व्यवस्था का सुचारु रूप से पालन किए जाने हेतु शांति पूर्वक अपनी आपसी सामाजिक स्थिति कर अपनी बारी का इंतजार करेंगे व भीड़-भाड़ एकत्रित नहीं करेंगे।
04. दिनांक २८.०४.२०२० से रिमाण्ड कोर्ट, चाईल्ड फ्रेंडली कोर्ट में संचालित होगी। अतः सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन जिनकी रिमाण्ड कोर्ट में ड्यूटी लगाई गई है वे अपनी उपस्थिति नियत समयवाधि में चाईल्ड फ्रेंडली कोर्ट में सुनिश्चित करेंगे जिसका मैन दरवाजा बंद रहेंगा तथा केवल न्यायालयीन कर्मचारी जिनकी ड्यूटी रहेंगी वे ही न्यायालय में उपस्थित होंगे।